Amalgamation of M/s. Kalinga Tubes Ltd., and Indian Metals and Ferro Alloys Ltd.

1517. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether M/s. Kalinga Tubes Limited and Indian Metals and Ferro Alloys Limited, Orissa both applied for amalgamation;

(b) if so, when did M/s. Kalinga Tubes Limited apply for amalgamation and on what ground; and

(c) the details of the grounds on which M/s. Kalinga Tubes sought amalgamation?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) to (c). Yes, Sir. M/s. Indian Metals & Ferro Alloys Limited and M/s. Kalinga Tubes Limited had both made a combined application to this Department on 29.2.1980 under section 23(2) of the MRTP Act, 1969 for seeking approval of the Central Government to their scheme of amalgamation with the purpose of reviving M/s. Kalinga Tubes Ltd., which is a sick industrial unit. The scheme of amalgamation was approved by the Central Government under section 23(2) of the MRTP Act, 1969, in November, 1981 and by the High Court of Orissa under section 391 and 394 of the Companies Act, 1956, on 11.12.81.

सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों के निरीक्षण का ब्यौरा

1518. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

श्री फूलचन्द वर्मा :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों के दौरान अनेक सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों का निरीक्षण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सरकारी और गैर-सरकारी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके वित्तीय मामलों का निरीक्षण किया गया और उन सरकारी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके वित्तीय मामलों में अनियमितताये पाई गईं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के वित्तीय वर्षों की अवधि में कम्पनी अधिनियम की धारा 209क के अन्तर्गत सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही 663 कम्पनियों की, लेखा वहियों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया था ।

(ख) और (ग) कम्पनियों की अत्यधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए तामश: पिछले दो वर्षों की अवधि के दौरान सम्पन्न किये गये निरीक्षणों में अन्तर्ग्रस्त 663 इस प्रकार की सभी कम्पनियों के नामों की सूची तैयार करना, प्रत्येक मामले में जानकारी में आई अनियमितताएं और उन पर की गई कार्यवाही के संकलन में अत्यधिक काम का भार बढ़ जायेगा तथा उसके परिणाम भी समय, प्रायास और होने वाले व्यय के समानुपातिक नहीं होंगे । तथापि किसी विशेष कम्पनी या कम्पनियों के समूह के सम्बन्ध में कोई सूचना आवश्यक हो तो वह प्रस्तुत कर दी जायेगी ।